जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- F(200)JDA/OSD(RM)2015-16/D-1541   दिनांक :- 06-10-15

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक F(200)JDA/OSD(RM)2015-16/D-1374 and D-1375 Date 17.09.2015 के द्वारा शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं/कॉलोनी एवं क्षेत्रों को आवासीय, संस्थानिक व वाणिज्यिक आरक्षित दरें पुर्ननिर्धारित की जा चुकी है।

अतः दिनांक 17.09.2015 से एवं इसके उपरान्त जविप्रा द्वारा आरक्षित दरों के आधार पर भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत लेय समस्त तरह की राशियां नजराना, शहरी जमाबन्दी, पुर्नग्रहण शुल्क इत्यादि की गणना उक्त आदेशों में अंकित आरक्षित दरों के अनुसार सुनिश्चित की जावें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि जविप्रा के वे क्षेत्र जो कि जविप्रा की विशिष्ठ (Specific) योजनाओं में सम्मलित नही है, उन प्रकरणों में सम्बन्धित जोन स्तर पर उक्त आदेश में उल्लेखानुसार U-1, U-2, U-3. Rural and Ecological area के अनुसार अंकित आरक्षित दरों के अनुसार निर्धारण सुनिश्चित किया जावें।

इन आरक्षित दरों के जारी होने की दिनांक 17.09.2015 से पूर्व जिन प्रकरणों में राशि दिनांक 16.09.15 तक जमा हो गई है उन प्रकरणों में पूर्व आरक्षित दर ही लागू होगी तथा अन्य प्रकरणों में नई आरक्षित दर लागू होगी। किन्तु नीलामी प्रकरणों में शहरी जमाबन्दी की गणना नीलामी दिनांक को प्रभावी आरक्षित दर के अनुसार होगी।

(देवराज सिंह)
निदेशक (वित्त)
जयपुर विकास प्राधिकरण